आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
09.07.19	न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–आर्विटेटर, धनबाद आर्बिट्रेशन केश नं0–56/2018 निमाई चन्द्र गोदक –बनाम्– भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रधिकरण एवं अन्य दावेदार के आवेदन के आलोक में तोपचॉची अंचल अन्तर्गत मौजा–तोपचॉची, थाना नं0–49, खाता नं0–38, प्लॉट नं0–2270, रकवा–0.02 एकड़ भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–02 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उसपर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया। आवेदक अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि बैंक खाता के माध्यम से दिनांक–06.02.17 को 16,22,370.00 रू0 एवं दिनांक–25.11.16 को 1,07,925.00 रू0, कुल–17,30,295.00 (सत्तरह लाख तीस हजार दो सौ पंचानब्बे) रू0 मात्र ही मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। साथ ही अपने आवेदन में उल्लेख किया गया है कि पंचाट में दिया गया संरचना का मूल्यांकन दर मान्य नहीं है, क्योंकि स्थानीय बाजार से बहुत कम है। आवेदक द्वारा पुनः मुल्यांकन कर भुगतान का अनुरोध किया गया है। NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उल्लेख किया भूमि का जॉचोपरान्त नियमानुसार एवार्ड तैयार किया गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जॉच आवश्यक है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं एन0एच0ए0आई0 को निदेश दिया जाता है कि जॉचोपरान्त भूमि पर अवस्थित संरचनाओं का पुर्नमूल्यांकन करते हुए यदि देय हो, तो मुआवजा राशि आवेदक को नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। (हस्ताक्षर) अपर समाहर्त्ता, –सह– आर्बिट्रेटर धनबाद। (हस्ताक्षर) अपर समाहर्त्ता –सह– आर्बिट्रेटर धनबाद।	

Scanned with CamScanner